पत्रांक 2650 दि0 27/9/2022

दिनांक–07.09.2022 को श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा0प्र0से0, अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में हुई जहानाबाद के विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही एवं दिए गए निदेश।

उपस्थितिः– यथा संधारित।

दिनांक– 07.09.2022 को श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा0प्र0से0, अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा समाहरणालय, जहानाबाद के सभा कक्ष में निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, समाहर्त्ता, जहानाबाद, बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद, अपर समाहर्त्ता, जहानाबाद, जहानाबाद जिले के सभी विशेष सर्वेक्षण शिविर प्रभारी, कानूनगो एवं भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव, श्री अशोक कुमार शर्मा तथा प्रोग्रामर, श्री कुणाल किशोर के साथ जहानाबाद में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों के प्रगति की विस्तृत शिविरवार समीक्षा की गई। जिला स्तरीय समीक्षा उपरांत घोसी अंचल के किसान भवन में चल रहे विशेष सर्वेक्षण शिविर, घोसी–1 के विशेष सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा की गई।

जिला स्तर पर की गई बैठक में समीक्षोपरान्त प्रगति प्रतिवेदन एवं निदेश निम्नवत् हैं:–

जहानाबाद जिला के चार अंचलों में कार्यरत 10 विशेष सर्वेक्षण शिविरों का समेकित प्रगति प्रतिवेदन निम्नवत पाया गयाः–

बन्दोबस्त कार्यालय, जहानाबाद।

Phase -1 शिविरवार किस्तवार, खानापुरी, एल0पी0एम0 एवं प्रारूप प्रकाशन कार्य का प्रगति प्रतिवेदन दिनांक–06.09.2022

क्र0	विशेष सर्वेक्षण शिविर की संख्या एवं नाम	संबंधित शिविर में वि0सर्वे0 स0ब0प0 की संख्या	संबंधित शिविर में वि0सर्वे0 कानूनगो की संख्या	संबंधित शिविर में वि0सर्वे0 अमीन की संख्या	कुल आवंटित राजस्व ग्रामों की संख्या	किस्तवार प्रारंभ किये गये कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	किस्तवार पूर्ण किये गये कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	किस्तवार पूर्ण किये गये राजस्व ग्रामों का प्रतिशत	खानापुरी प्रारंभ किये गये कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	खानापुरी पूर्ण किये गये कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	खानापुरी पूर्ण किये गये कुल राजस्व ग्रामों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	घोषी–01 किसान भवन	1	1	15	17	16	10	58.82	6	2	11.76
2	घोषी–02 लखावर पंचायत सरकार भवन	–	1	15	23	23	13	56.52	5	3	13.04
3	हुलासगंज–01 चिरी पंचायत सरकार भवन	1	1	16	24	22	12	50.00	3	2	8.33
4	हुलासगंज–02 अंचल मुख्य भवन	–	1	15	24	24	14	58.33	5	4	16.66
5	मोदनगंज–01 देवरा पंचायत सरकार भवन	1	2	16	28	28	21	75.00	7	5	17.85
6	मोदनगंज–02 गंधार पंचायत सरकार भवन	1	1	17	27	25	20	74.07	7	3	11.11
7	रतनीफरीदपुर–01 झुनाठी पंचायत सरकार भवन	1	2	14	25	20	14	56.00	8	5	20.00
8	रतनीफरीदपुर–02 पंचायत भवन, सोहरैया	1	1	14	24	23	15	62.50	9	2	8.33
9	रतनीफरीदपुर–03 कंसुआ पंचायत भवन	–	1	14	24	24	15	62.50	11	2	8.33
10	रतनीफरीदपुर–04 नारायणपुर पंचायत भवन	1	1	14	24	23	14	58.33	10	1	4.16
	कुल योग	7	12	150	240	228	148	61.66	71	29	12.08

एल0पी0एम0 जेनरेट किये गये कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	एल0पी0एम0 वितरित किये गये कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	प्रपत्र–12 में प्रारूप प्रकाशन किये गये राजस्व ग्रामों की संख्या	अंतिम प्रकाशन किये गये राजस्व ग्रामों की संख्या	अभ्युक्ति
13	14	15	16	17
2	2	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2	2	0	0	
1	1	0	0	
3	3	0	0	
1	1	1	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
9	9	1	0	

जिला स्तरीय समीक्षा के क्रम में सर्वप्रथम पाया गया कि कुल 240 राजस्व ग्रामों में से 12 राजस्व ग्रामों में किस्तवार कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। शिविर प्रभारियों द्वारा बताया गया कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा मानचित्र नहीं दिए जाने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। प्रतिवेदित किया गया कि 228 ग्रामों में से 148 में किस्तवार पूर्ण हो चुका है एवं 29 ग्रामों में खानापुरी पूर्ण हो चुका है।

जहानाबाद के नोडल पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि 24 घंटे के अंदर हवाई सर्वेक्षण एजेंसी से किस्तवार प्रारंभ करने के लिए 12 राजस्व ग्रामों के मानचित्रों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए। उक्त निदेश के अनुपालन में हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित कर नोडल पदाधिकारी द्वारा दिनांक– 08.09.2022 को सभी 12 राजस्व ग्रामों का मानचित्र बन्दोबस्त कार्यालय, जहानाबाद को उपलब्ध करा दिया गया।

बैठक में उपस्थित समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं अपर समाहर्त्ता को निदेशित किया गया विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया में सरकारी एवं सरकारी भूमि के संरक्षण के लिए शिविर प्रभारियों से प्रतिवेदन प्राप्त कर जिन–जिन अंचल अधिकारियों द्वारा एवं भू–अर्जन तथा चकबन्दी द्वारा सरकारी भूमि, बन्दोबस्त की गई भू–अर्जित भूमि इत्यादि की विवरणी विशेष सर्वेक्षण शिविरों को उपलब्ध नहीं कराई गई है, उनकी जिलास्तरीय समीक्षा कर सभी प्रकार की विवरणी यथाशीघ्र विशेष सर्वेक्षण शिविरों को उपलब्ध कराया जाए। यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रपत्र–6 (खेसरा पंजी) के निर्माण पूर्व यदि समस्त सरकारी जमीन की विवरणी उपलब्ध नहीं होती है तो सुनवाई में समस्या आने के साथ–साथ सरकारी भूमि के संरक्षण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। अतः शिविरों द्वारा प्रपत्र–6 के निर्माण के समय ही समस्त सभी प्रकार के भूमि की विवरणी शिविरों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

शिविर स्तरीय समीक्षा– जहानाबाद में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य के प्रगति की अंचलवार गठित शिविरवार समीक्षा की गई एवं निदेश दिए गए जो निम्न प्रकार हैः–

(i) **घोसी, शिविर–01 एवं घोसी, शिविर– 02ः–** शिविर प्रभारी द्वारा बताया गया कि कुल 17 राजस्व ग्रामों में एक ग्राम जिसका नक्शा एजेंसी द्वारा नहीं दिया है, को छोड़कर 10 ग्रामों में किस्तवार और 02 ग्रामों में खानापुरी पूर्ण हो गया है। प्रतिवेदित किया गया कि एजेंसी द्वारा किस्तवार उपरांत खानापुरी के लिए दिए जाने वाले मानचित्रों में बहुत समय लगाया जाता है और अमीनों द्वारा नक्शे में किए सभी सुधारों को भी ठीक नहीं किया जाता है। एजेंसी द्वारा बताया गया कि जो सुधार अस्पष्ट होते हैं, उनमें सुधार करने में कठिनाई होती है। समीक्षा के क्रम में यह भी स्पष्ट हुआ कि एजेंसी और शिविर के मध्य मानचित्रों के आदान–प्रदान की प्रक्रिया को पत्र के माध्यम से करने में अनावश्यक विलंब होता है।

निदेशित किया गया कि एजेंसी और शिविरों के मध्य मानचित्रों के आदान–प्रदान के लिए पत्र के स्थान पर रजिस्टर संधारित कर उसमें प्राप्ति एवं निर्गत संबंधी विवरण अंकित कर उनके माध्यम से मानचित्रों का आदान–प्रदान किया जाए। मानचित्रों को एजेंसी को दिए जाने के पूर्व उसकी जांच कानूनगो द्वारा अवश्य कर ली जाए। राजस्व ग्राम–अजियाँवा, थाना नं0–47 के अमीन, श्री विशाल मिश्रा के कार्यों की समीक्षा के क्रम में उनकी प्रगति को देखते हुए तुरंत उनके स्थानीय आवास के सत्यापन करने का निदेश दिया गया। इसके अनुपालन में बैठक पश्चात् नोडल पदाधिकारी, श्री अशोक कुमार शर्मा द्वारा अमीन के स्थानीय आवास की जाँच की गई। जाँच के क्रम में श्री मिश्रा के मकान मालिक द्वारा बताया गया कि श्री विशाल मिश्रा जमुई के रहने वाले हैं और जहानाबाद में नियमित रहकर अपना कार्य करते हैं एवं लगभग 03 महीनों से जहानाबाद से बाहर नहीं गए हैं। शिविर प्रभारी को निदेशित किया गया कि कम खेसरे वालों ग्रामों में यथाशीघ्र कार्य पूरा कर लिया जाए।

घोसी–01 एवं घोसी–02 के शिविर प्रभारियों को निदेशित किया गया कि 5000 से 10000 से कम खेसरे वाले सभी ग्रामों में नवंबर–2022 तक एवं शेष ग्रामों में दिसंबर–2022 तक प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन सुनिश्चित किया जाए।

(ii) **हुलासगंज, शिविर–01 एवं 02:–** उपस्थित शिविर प्रभारियों द्वारा बताया गया कि शिविर–01 के कुल 24 ग्रामों में से 12 और शिविर–02 में 24 में से 14 ग्रामों में किस्तवार पूर्ण किया जा चुका है। शिविर–01 द्वारा बताया गया कि एक सप्ताह में 07 और ग्रामों में किस्तवार पूर्ण हो जाएगा। शिविर संख्या–01 के ग्राम– सुकियोवा, थाना संख्या–674 में किस्तवार का कार्य लंबित रहने के सम्बन्ध में शिविर प्रभारी से पृच्छा करने पर उनके द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। बैठक में अमीन, श्री कुमार प्रकाश से दूरभाष पर पृच्छा करने पर श्री प्रकाश द्वारा बताया गया कि उनका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उनके द्वारा गत 01 माह से किस्तवार का कार्य नहीं किया जा सका है। बैठक में अमीन की उपस्थिति को ऑनलाईन जाँच करने के क्रम में पाया गया कि शिविर प्रभारी द्वारा अगस्त माह में 17 से 31 के मध्य अवकाश छोड़कर 06 दिन तथा 02 से 07 सितंबर तक अनुपस्थित तथा अगस्त माह में दो दिन आकस्मिक अवकाश में दिखाया गया है। हुलासगंज, शिविर–01 के प्रभारी द्वारा बताया गया कि उन्हें अमीन द्वारा पैर फ्रैक्चर होने की जानकारी नहीं दी गई थी, जिस कारण उनके द्वारा भूलवश आरंभ में अमीन की उपस्थिति दर्ज कर दी गई एवं जानकारी प्राप्त होने पर अनुपस्थित किया गया।

बन्दोबस्त पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि अमीन, श्री कुमार प्रकाश की उपस्थिति के संबंध में हुलासगंज, शिविर संख्या–01 के शिविर प्रभारी से कारण पृच्छा की जाए एवं कारण पृच्छा प्राप्त कर वेतन में कटौती की जाए। साथ ही अमीन श्री कुमार प्रकाश की अनुपस्थिति के लिए भी उनके वेतन में कटौती की जाए। हुलासगंज, शिविर– 01 एवं 02 के शिविर प्रभारियों को निदेशित किया गया कि एक पक्ष के अंदर सभी ग्रामों में किस्तवार पूर्ण कर नवम्बर–2022 तक किसी भी परिस्थिति सभी ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) **मोदनगंज, शिविर–01 एवं 02:–** उपस्थित शिविर प्रभारियों द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि शिविर–01 में कुल 28 राजस्व ग्रामों में से 21 में किस्तवार पूर्ण कर 02 ग्रामों में LPM वितरित कर दिया गया है एवं एजेंसी द्वारा यदि समय पर मानचित्रों की आपूर्ति कर दी जाती है तो नवंबर–2022 तक सभी ग्रामों में खानापुरी पूर्ण कर प्रारूप प्रकाशन कर दिया जाएगा। शिविर संख्या– 02 में 25 ग्रामों में से 20 ग्रामों में किस्तवार पूर्ण कर 01 ग्राम में LPM वितरित कर दिया गया है एवं एजेंसी द्वारा मानचित्रों की आपूर्ति ससमय नहीं किए जाने के कारण खानापुरी की प्रगति बाधित हुई है।

मोदनगंज की प्रगति को देखते हुए अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा दोनों शिविर में अच्छे कार्य की प्रशंसा की गई एवं बताया गया कि यदि कोई शिविर अच्छा कार्य करता है तो उन्हें उत्साहित करने के लिए प्रशंसा–पत्र भी दिया जाना चाहिए। दोनों शिविरों में एजेंसी के कारण हो रही बाधा के लिए हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि अविलंब मोदनगंज के सभी लंबित मानचित्रों की आपूर्ति की जाए एवं किसी भी प्रक्रम के मानचित्रों को अपडेट कर अधिक–से –अधिक एक सप्ताह के अन्दर वापस शिविर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। जिन ग्रामों में खेसरों की संख्या 10000 से अधिक है, उन्हें छोड़कर शेष सभी ग्रामों में नवंबर–2022 तक प्रारूप प्रकाशन करना सुनिश्चित किया जाए।

(iv) **रतनी फरीदपुर, शिविर संख्या–01, 02,03 एवं 04:–** प्रभारी, शिविर संख्या–01 द्वारा बताया गया कि कुल 20 में से 14 ग्रामों में किस्तवार पूर्ण कर 02 ग्रामों में LPM वितरित किया गया है एवं एक ग्राम जिसमें खेसरों की संख्या 10000 से अधिक है, उसको छोड़कर शेष सभी ग्रामों में नवंबर–2022 तक प्रारूप प्रकाशन कर दिया जाएगा। शिविर संख्या–02 द्वारा बताया गया कि 15 ग्रामों में किस्तवार एवं 02 ग्रामों में खानापुरी पूर्ण हो गया है। शिविर संख्या–03 एवं 04 में क्रमशः 16 एवं 14 राजस्व ग्रामों में किस्तवार पूर्ण होने का प्रतिवेदन दिया गया। इन दोनों शिविरों में अभी तक किसी भी ग्राम में LPM वितरण नहीं किया गया है। हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा खानापुरी मानचित्रों को विलंब से देने एवं अधिकांश रैयतों द्वारा स्वघोषना एवं स्वामित्व संबंधी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण खानापुरी में विलंब हो रहा है।

समीक्षा में पाया गया कि रतनी फरीदपुर, शिविर संख्या–02 में एक दो गांव को छोड़कर शेष सभी ग्राम 2000 से कम खेसरे वाले हैं और 02 ग्रामों में खानापुरी पूर्ण की गई है। राजस्व ग्राम– परमेश्वपुर जिसमें खेसरों की संख्या मात्र 07 है, का अब तक अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित नहीं किया जाना एवं अन्य कम खेसरे वाले ग्रामों के अमीन द्वारा प्रारूप प्रकाशन नहीं किया जाना खेदजनक है। अतः परमेशपुर के अमीन, राम नारायण साहू, उषा कुमारी, स्वीकृती कुमारी, अनुपमा यादव, कृष्णा जाना, अंकित शर्मा, संतोष कुमार, सतीश कुमार, मंजय कुमार, आलोक कुमार एवं शिवम राज से बन्दोबस्त पदाधिकारी के माध्यम से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए। जिन ग्रामों में खेसरों की संख्या 10000 से अधिक है, उनको छोड़कर सभी शिविरों द्वारा 01 सप्ताह में किस्तवार पूर्ण कर नवंबर–2022 तक प्रत्येक दशा में प्रारूप प्रकाशित कर दिया जाए।

(v) **अन्यान्यः–** बैठक में उपस्थित शिविर प्रभारियों द्वारा बताया गया कि शिविर कार्यालय में सफाई इत्यादि के मद में कोई राशि उपलब्ध नहीं रहने के कारण अत्यंत कठिनाई होती है। साथ ही शिविर स्तर पर उपलब्ध छोटे प्रिंटर से बड़ी संख्या में खानापुरी पर्चा के मुद्रण में भी कठिनाई आती है।

निदेशित किया गया कि भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के शिविरों में सफाई इत्यादि विविध कार्यों के लिए शिविरवार एक निश्चित राशि कर्णांकित करते हुए आवंटित की जाए एवं जिलों के बन्दोबस्त कार्यालय में एक शक्तिशाली बड़े आकार के प्रिंटर को लगाने की व्यवस्था की जाए ताकि शिविर के कर्मियों द्वारा ज्यादा संख्या में मुद्रित किए जाने वाले कागजों का मुद्रण जिला स्तर से आसानी से किया जा सके।

घोसी प्रखण्ड अन्तर्गत किसान भवन में अवस्थित विशेष सर्वेक्षण शिविर संख्या–01 में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा

जिलास्तरीय समीक्षा के पश्चात् विशेष सर्वेक्षण शिविर संख्या–01 में ग्रामवार/अमीनवार प्रगति की समीक्षा की गई।

समीक्षा के क्रम में शिविर स्तरीय प्रगति निम्नवत् पाई गई :–

बन्दोबस्त कार्यालय, जहानाबाद।

घोषी–01 किसान भवन

Phase-1

क्र0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम एवं थाना संख्या	विशेष सर्वेक्षण अमीन का नाम	किस्तवार मानचित्र प्राप्ति की तिथि	किस्तवार आरंभ करने की तिथि	संभावित SS खेसरों की संख्या	किस्तवार पूर्ण खेसरों की संख्या	किस्तवार कार्य पूर्ण होने की तिथि	किस्तवार मानचित्र एजेंसी को सुधार हेतु उपलब्ध कराने की तिथि	खानापुरी मानचित्र प्राप्ति की तिथि	खानापुरी प्रारंभ करने की तिथि	याददाश्त लिखे गये खेसरों की संख्या	खानापुरी पूर्ण होने की तिथि	LPM वितरण करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सरहद–550	राजेश कुमार	22/1/2022	1/2/2022	174	174	14/2/2022	15/2/2022	26/2/2022	4/3/2022	174	13/4/2022	28/7/2022
2	भारथू–554	कुमार गौरव	28/7/2022	1/8/2022	9200	2040	–	–	–	–	–	–	–
3	नन्दना–555	पिन्टु कुमार	4/8/2022	6/8/2022	1604	920	–	–	–	–	–	–	–
4	मेटरा–548	जितेन्द्र कुमार	28/7/2022	1/8/2022	4500	2140	–	–	–	–	–	–	–
5	ढोढ़री–549	पूजा सिंह	28/7/2022	1/8/2022	600	600	1/9/2022	1/9/2022	–	–	–	–	–
6	नवादा–551	राजेश कुमार पासवान	22/5/2022	25/5/2022	251	251	29/6/2022	29/6/2022	1/9/2022	5/9/2022	50	–	–
7	अतियाँवा–547	विशाल मिश्रा	22/5/2022	28/5/2022	1598	1598	10/8/2022	10/8/2022	–	–	–	–	–
8	खिरौटी–575	मिताली राय	28/7/2022	1/8/2022	2000	1635	–	–	–	–	–	–	–
9	वाजितपुर–552	मन्टू कुमार	28/7/2022	1/8/2022	1500	1300	–	–	–	–	–	–	–
10	डमौआ–572	विवेक विशाल	6/5/2022	11/5/2022	561	561	22/5/2022	22/5/2022	3/9/2022	6/9/2022	30	–	–
11	कोरमा–546	कुन्दन कुमार	22/5/2022	25/5/2022	2745	2745	8/8/2022	8/8/2022	–	–	–	–	–
12	समरकन्द–576	अजय कुमार रजक	9/3/2022	14/3/2022	635	635	24/5/2022	30/5/2022	25/7/2022	28/7/2022	475	–	–
13	छपन्ना–574	निधि गौतम	26/5/2022	28/5/2022	1960	1960	25/7/2022	25/7/2022	–	–	–	–	–
14	डहरपुर–583	प्रतिभा राय	28/7/2022	1/8/2022	2150	1280	–	–	–	–	–	–	–
15	शाहपुर मिल्की–579	राजकिशोर यादव	6/5/2022	11/5/2022	163	163	9/7/2022	9/7/2022	1/9/2022	5/9/2022	25	–	–
16	शाहपुर–578		–		–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	गंधार एराजी–577	मन्टू कुमार	7/1/2022	12/1/2022	44	44	7/2/2022	9/2/2022	26/2/2022	4/3/2022	44	12/4/2022	16/6/2022

E:\17.09.2022\Proceeding_07-09-2022_Jehanbad_Visit.docx

उक्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रतिवेदित किया गया कि कुल 17 राजस्व ग्रामों में से एक ग्राम शाहपुर का नक्शा एजेंसी से प्राप्त नहीं होने के कारण उसमें किस्तवार प्रारंभ नहीं किया जा सका है। शेष ग्रामों में से 10 ग्रामों का किस्तवार पूर्ण हो चुका एवं दो ग्रामों में LPM वितरित किया गया है। सरहद ग्राम के अमीन से पृच्छा की गई कि जुलाई माह में LPM वितरण होने के बावजूद अभी तक प्रारूप प्रकाशन क्यों नहीं किया गया है। बताया गया कि रैयतों द्वारा भूमि के स्वामित्व संबंधी साक्ष्यों को समय से उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण सुनवाई सम्बन्धी वादों के निष्पादन में कठिनाई होती है। राजस्व ग्राम–समरकन्द, थाना सं0–576 के अमीन द्वारा बताया गया कि एजेंसी द्वारा नक्शे में किए गए सुधार के अनुसार संशोधन नहीं किया जाता है। इस आलोक में अमीन एवं एजेंसी के प्रतिनिधि के समक्ष नक्शे की जाँच की गई और पाया गया कि अमीन द्वारा पेंसिल से किए गए सुधार को एजेंसी द्वारा संधारित नहीं किया गया है। उपस्थित एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि जो सुधार स्पष्ट रूप के दृष्टिगोचर रहीं होते हैं, उनका सुधार छुट जाता है एवं वाद में खानापुरी प्रक्रम उपरांत प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सुधार कर दिया जाता है। ग्राम–छपन्ना के अमीन, निधि गौतम द्वारा बताया गया कि C.S का डिजिटाइज्ड मानचित्र अनुपलब्ध है एवं ग्रामीणों से प्राप्त मानचित्र के आधार पर कार्य किया जा रहा है।

निदेशित किया गया कि किस्तवार प्रारंभ करने के लिए एजेंसी द्वारा शाहपुर का नक्शा 24 घंटे के अन्दर हर हालत में उपलब्ध कराया जाए तथा 1 पक्ष के अन्दर शिविर के सभी ग्रामों में किस्तवार पूर्ण कर लिया जाए। साथ ही जिन ग्रामों में किस्तवार पूर्ण हो गया है, उनमें एक पक्ष के अन्दर खानापुरी पूर्ण की जाए। छपन्ना अथवा अन्य किसी भी ग्राम का ऐसा मानचित्र जो डिजिटाइज्ड नहीं है, किन्तु आम जनता से प्राप्त हो सकता है, उन्हें अविलंब उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना को उपलब्ध कराकर डिजिटाइज्ड करवा दिया जाए। शिविर में कानूनगो द्वारा संधारित याददाश्त पंजी का अवलोकन भी अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना तथा निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा किया गया एवं याददाश्त पंजी में लिखे जाने वाले आदेशों में प्रपत्र–6 में संधारित किए जाने वाले भूमि के रकबा एवं सुधार की गई प्रविष्टियों की संख्या को स्पष्ट रूप से अंकित करने का निदेश दिया गया। साथ ही याददाश्त पंजी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए राज्य स्तर से पत्र निर्गत करने का भी निदेश दिया गया।

(जय सिंह) 26/9/22
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0– 10/2022 2650 **पटना, दिनांकः** 27/9/2022

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता, जहानाबाद/बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद/अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त, जहानाबाद/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), जहानाबाद सभी शिविर प्रभारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,

ज्ञापांकः 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0– 10/2022 2650 **पटना, दिनांकः** 27/9/2022

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप/श्री अशोक कुमार शर्मा, स0ब0प0–सह–नोडल पदाधिकारी, जहानाबाद/प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग/प्रभारी, आई0टी0 सेल, बिहार, भू–अभिलेख एवं परिमाप पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0– 10/2022.........2650..........पटना, दिनांकः 27/9/2022

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0– 10/2022.........2650..........पटना, दिनांकः 27/9/2022

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप
26/9/22